

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रकरण संख्या 223/25
 दायर दिनांक 21/09/25
 निर्णय दिनांक 21/09/25
 प्रशासन गांवों के संग-2025

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>हामिभाना</u> प०म० <u>हामिभाना</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>हामिभाना</u> तहसील- <u>कपासन</u>						
क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	261	1083	0.06	शान्ता पत्नी कुलाशनन्दु हिस्सा - 1/6 भाति - 1/12	शान्ता पत्नी कुलाशनन्दु हिस्सा - 1/6 भाति - 1/12	
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत <u>2074-77</u> के उपरोक्तानुसार शुद्ध शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का <u>हामिभाना</u> भू०अ०नि० <u>हामिभाना</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

शान्ता जाय

9

ह० पटवारी
 प०म० हामिभाना

दिनांक



18/9/25

ह० भू०अ०नि० वृत्त
 कापसास

तहसीलदार/अधिकारी
 कपासन

ह० उपखण्ड अधिकारी
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-धारवाड़